

## स्पीड पोस्ट

e-mail:-

पत्र संख्या: 1/प्रो०(च०अ०)-१००१/२०१२-सा०प्र०- ३५ /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,  
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव  
सभी विभागाध्यक्ष  
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त  
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-१५, दिनांक: ५ जनवरी, २०१५

विषय:- चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि गत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों तथा राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन सभी उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के समूह 'क' 'ख' एवं 'ग' के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों से चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी प्राप्त कर उन्हें सार्वजनिक किया जाना है ।

2. गत वर्ष में चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पित करने हेतु लागू विहित प्रपत्र में ही चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी समर्पित किया जाना है । यह प्रपत्र सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट [www.gad.bih.nic.in](http://www.gad.bih.nic.in) पर उपलब्ध है ।

3. अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संबंधित आचार नियमावली के तहत दी जाने वाली संपत्ति विवरणियों के अतिरिक्त यह संपत्ति विवरणी देय होगी ।

4. भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी अपनी संपत्ति विवरणी विहित प्रपत्र में 28 फरवरी, 2015 तक क्रमशः सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग को सौंपना सुनिश्चित करेंगे ।

5. राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन सभी उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) में कार्यरत कर्मी अपनी सम्पत्ति विवरणी विहित प्रपत्र में 28 फरवरी, 2015 तक अपने—अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सौंपना सुनिश्चित करेंगे ।

6. सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों से प्राप्त चल एवं अचल सम्पत्ति तथा दायित्वों की विवरणी को 31 मार्च, 2015 तक विभागीय बेवसाईटों के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा ।

7. सभी प्रधान सचिव एवं सचिव अपने विभाग के नियंत्रणाधीन सभी लोक उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के प्रधानों एवं सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देशित कर दें कि उनके द्वारा माह फरवरी, 2015 के बेतन की निकासी करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित कर्मी द्वारा चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों की विवरणी विहित प्रपत्र में समर्पित कर दिया गया है। इसके पश्चात् ही संबंधित कर्मी के बेतन की निकासी की जाय।

8. सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि जिलों में अवस्थित सभी विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों एवं राज्य सरकार के सभी लोक उपक्रमों (यथा बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के स्थानीय प्रधानों को भी उपर्युक्त कंडिका-6 के अनुरूप कार्रवाई हेतु सूचित कर दें।

9. सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को भी इस निर्देश से अवगत कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

०७/०१/२०१५  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:- १/प्रो०(च०अ०)-१००१/२०१२-सा०प्र०-३४८/पटना-१५, दिनांक:५ जनवरी, २०१५

प्रतिलिपि:- केन्द्रीय/अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति पर बिहार संवर्ग के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी/राज्य में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी/ केन्द्रीय सिविल सेवा के सभी पदाधिकारी /स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली /राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी लोक उपक्रम (बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि) के प्रधान /अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना /सभी कोषागार पदाधिकारियों/आई टी० मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

०७/०१/२०१५  
सरकार के अवर सचिव